न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—61 / 19 (2019 / 00006) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—आशादेवी पत्नि नरेन्द्रसिंह कोठारी महाजन निवासी रायपुर तह0 रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीया

बनाम

1—प्रहलाद पिता मोहन चमार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—भंवर पिता मोहन चमार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—भैरू पिता छोगा चमार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—पारस पिता छोगा चमार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—कंचन पुत्री लेहरू चमार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—भैरूलाल पिता छोगा चमार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—पारसमल पिता छोगा चमार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक रायपुर जिला भीलवाडा
9—बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक रायपुर,
10—ग्राम सेवा सहकारी समिति गलवा जरिये व्यवस्थापक तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट.

उपस्थित

1—फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता प्रार्थीया

निर्णय — दिनांक 18.02.2020

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम केमुणिया पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 863 रकबा 0.44 है0 भूमि खाता संख्या 28 पर दर्ज रेकार्ड है इसी प्रकार विपक्षीगण की आराजी संख्या 869 रकबा 0.49 है0 भूमि खाता संख्या 277 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीया की आराजी संख्या 863 रकबा 0.44 है0 भूमि मुख्य सड़क जो पालरां जाती है के पास स्थित है प्रार्थीया की इस आराजी के पश्चिमी ओर विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 8 की आराजी संख्या 869 रकबा 0.49 है0 भूमि स्थित है इस आराजिया तमे से होकर प्रार्थीया वर्षो से अपनी आराजी संख्या 863 में आवागमन सजं, बैल, ट्रेक्टर आदि से करती चली आ रही है। विपक्षीगण की आराजी संख्या 869 जो सड़क से लगती हुई है जंहा मौके पर विपक्षीगण ने रास्ते के रूप में जमीन छोड़ रखी है तथा दोनो तरफ थेर की बाड़ एवं कच्चे पत्थरो कोट बना रखा है मौके पर अभी रास्ता खुला हुआ है। उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है। विपक्षी की आराजी संख्या 869 के बीच में उक्त रास्ता छोड़ रखा है लेकिन रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही होने से आयें दिन विपक्षीगण प्रार्थीया के आवागमन में बाधा उत्पन्न करते है। प्रार्थीया की आराजियात में अन्य कोई वेकल्पिक मार्ग प्रार्थीया की आराजियात में पंहुँच का नही है। प्रार्थीया विपक्षीगण की

आराजियात में 15 फीट चोड़ाई में रास्ता कायम करना चाहती है एवं नियमानुसार रास्ते में समायोजित होने वाली डीएससी दर से दुगुणी राशि प्रार्थीया अदा करने को तैयार है। श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 869 रकबा 0.49 है0 भूमि मे से 15 फीट चौड़ाई में नवीन रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को प्रदान कराया जावे एवं रास्ते में समायोजित होने वाली डीएलसी दर की दुगुणी राशि विपक्षीगण को अदा करायी जाकर उक्त 15 फीट चौड़ाई में नवीन रास्ता राजस्व रेकार्ड में अंकन कराया जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 24.04.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 8 बावजुद सुचना के उपस्थित नही हुए जिससे इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण वक्त मौका रिपोर्ट विपक्षी संख्या 1 व 2 उपस्थित होकर रास्ता देने में सहमति व्यक्त करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिनांक 13.02.2020 को पेश कर निवेदन किया की हम विपक्षी प्रार्थीगण को रास्ते के एवज में जितनी डीएलसी दर से भुगतान करने की राशि बनती है उतनी राशि के अनुपात में प्रार्थीगण से हमारी आराजियात के मिलती हुई भूमि दिलायी जावें प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर के द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि प्रार्थना पत्र में उल्लेखित आराजी नम्बर 869 रकबा 0.49 है में वर्तमान में 15 फीट चौड़ाई में रास्ता बना होकर जोहे की फाटक लगा रखी है परन्तु उक्त रास्ते का राजस्व रेकार्ड में अंकन नही है। उक्त रास्ता वर्तमान में चालु है प्रार्थीया को अपनी आराजी में पहुॅचने का अन्य कोई रास्ता नही है वर्तमान में प्रार्थीया की आराजी संख्या 863 में आवागमन हेतु इसी आराजी नम्बर 869 में स्थित रास्ते का उपयोग किया जा रहा है उक्त रास्ते में खसरा नम्बर 869 मे से 4 मीटर चोड़ाई में 40 मीटर की लम्बाई तक 160 वर्गमीटर भूमि आ रही है जिसकी वर्तमान डीएलसी दर 124340 रू. प्रति बीघा से 9210 रू. बनती है जिसकी दुगुनी राशि 18420 रू बनती है। वर्तमान में जो रास्ता चाहा गया है एवं चालु है उसको सलंग्न नक्षे में लाल स्याही से दर्शाया गया है मौका रिपोर्ट का अवलोकन प्रार्थी अधिवक्ता को कराने पर सहमति व्यक्त की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड तथा तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन तो पाया कि प्रार्थीया की आराजी में जाने हेतु विपक्षी की आराजियात में मौके पर रास्ता चालु है प्रार्थीया इसी रास्ते का उपयोग कर रहे है अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है उेसी सिथति में प्रार्थीया को रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है विपक्षी क्रमांक 1 व 2 की ओर जो प्रार्थना पत्र पेश किया उससे प्रार्थी अधिवक्ता को अवलोकन कराया जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता को

मुकदमा नम्बरः–61/19 (2019/00006) प्रार्थना पत्र

डीएलसी दर की दुगुनी राशि से विपक्षीगणो को भुगतान करने हेतु निर्धारित होती है विपक्षी राशि प्राप्त नही कर उस राशि के अनुपात में भूमि लेना चाहते है उसमें प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति नही कर सहमति व्यक्त की गई ऐसी स्थिति में प्रार्थीया को रास्ते हेतु 160 वर्गमीटर भूमि उपलब्ध करायी जा रही है उसके बदले उससे दुगुनी भूमि 320 वर्गमीटर दी जाने पर रास्ते की भूमि दिया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवरण से में इस निष्कर्ष पर पहुँचा प्रार्थीया का प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम केमुणिया तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी नम्बर 863 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 869 रकबा 0.49 है0 **मे से रकबा 0.016 है0** भूमि की बाजार दर 124340/–रूपये प्रति बिघा के अनुसार प्रस्तावित रास्ते की भूमि 160 वर्गमीटर की राशि 9210/–रूपये भूमि की किमत बनती है जिसका दुगुना करने पर 18420/–रूपये भूमि की मुआवजा राशि बनती है जिसके बदले विपक्षीगण को राशि नही दी जाकर इस राशि के अनुपात में दोनो पक्षो की सहमति अनुसार 320 वर्गमीटर भूमि विपक्षीगण को प्राथीया के द्वारा देने पर पस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने एवं प्रार्थीया की 320 वर्गमीटर भूमि विपक्षीगण के खाते में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18.2.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—61/19 (2019/00006) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—आशादेवी पत्नि नरेन्द्रसिंह कोठारी महाजन निवासी रायपुर तह0 रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीया

बनाम

1—प्रहलाद पिता मोहन चमार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—भंवर पिता मोहन चमार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—भैरू पिता छोगा चमार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—पारस पिता छोगा चमार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—कंचन पुत्री लेहरू चमार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—भैरूलाल पिता छोगा चमार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—पारसमल पिता छोगा चमार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक रायपुर जिला भीलवाडा
9—बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक रायपुर,
10—ग्राम सेवा सहकारी समिति गलवा जरिये व्यवस्थापक तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :— तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम केमुणिया तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी नम्बर 863 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 869 रकबा 0.49 है0 मे से रकबा 0.016 है0 भूमि की बाजार दर 124340/—रूपये प्रति बिघा के अनुसार प्रस्तावित रास्ते की भूमि 160 वर्गमीटर की राशि 9210/—रूपये भूमि की किमत बनती है जिसका दुगुना करने पर 18420/—रूपये भूमि की मुआवजा राशि बनती है जिसके बदले विपक्षीगण को राशि नही दी जाकर इस राशि के अनुपात में दोनो पक्षो की सहमति अनुसार 320 वर्गमीटर भूमि विपक्षीगण को प्राथीया के द्वारा देने पर पस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने एवं प्रार्थीया की 320 वर्गमीटर भूमि विपक्षीगण के खाते में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

हुक्मनामा आज दिनांक 18.02.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.02.25 15:46:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: